



Baba Fath Singh Ji Govt. College

Jai Singh Pura, Assandh (Karnal)



Code of Conduct

शैक्षणिक सदस्यों के लिए

- 1 सभी शैक्षणिक सदस्य शिक्षण संस्थान के अनुरूप ही वेशभूषा धारण करके महाविद्यालय आएँ।
- 2 सभी शैक्षणिक सदस्य महाविद्यालय में 5:30 घंटे तक अवश्य रुकें।
- 3 सभी शैक्षणिक सदस्य प्रतिदिन अपनी Bio Metric तथा Attendance Register में हाजिरी लगाना सुनिश्चित करें।
- 4 धूम्रपान और मदिरापान इत्यादि वर्जित है।
- 5 कक्षाओं में मोबाइल फोन का उपयोग ना करें यह महाविद्यालय में वर्जित है।
- 6 सभी शैक्षणिक सदस्य अपनी कमेटी और विभाग से संबंधित कार्यों का निष्पादन ईमानदारी के साथ समय पर पूर्ण करें।
- 7 उच्चतर शिक्षा विभाग तथा कुटुम्ब कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले सभी कर्तव्यों को समय पर पूर्ण करें।
- 8 सभी शैक्षणिक सदस्य अपनी Proctorial Duty का नियमित साप्ती के अनुसार अवश्य करें।

गैर शैक्षणिक सदस्यों के लिए

- 1 सभी गैर शैक्षणिक सदस्य महाविद्यालय में अपने निर्धारित समय के अनुसार उपस्थित हों।
- 2 महाविद्यालय में शिक्षण संस्थान के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा का चयन करें।
- 3 महाविद्यालय में Bio Metric और Attendance Register में अपनी हाजिरी नियमित रूप से लगाएं।
- 4 महाविद्यालय प्रांगण में किसी भी गैर शैक्षणिक सदस्य के द्वारा बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शराब और अन्य नशीली पदार्थों का प्रयोग वर्जित है।
- 5 महाविद्यालय प्रांगण में अनावश्यक मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
- 6 सभी गैर शैक्षणिक सदस्य निर्धारित की गई ड्यूटी और कार्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें।
- 7 सभी गैर शैक्षणिक सदस्य अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों को प्राचार्य कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालय में एकत्रित ना होने दें।
- 8 विद्यार्थियों को पुरतक, मींगजीन तथा अखबारों के उपयोग हेतु प्रेरित करें।
- 9 विद्यार्थियों को कंप्यूटर से संबंधित उपयोग और आवश्यकता हेतु प्रेरित करें तथा उन्हें कंप्यूटर की उपयोगिता समझाएं।
- 10 सभी गैर शैक्षणिक सदस्य विद्यार्थियों और आर्गनटुकों के साथ विनम्रता व शांतिवता के साथ व्यवहार करें।

विद्यार्थियों के लिए

- 1 सभी विद्यार्थी अपना कॉलेज ID Card महाविद्यालय प्रांगण में अवश्य पहने महाविद्यालय में कॉलेज ID Card बिना चलना नहीं है।
- 2 सभी विद्यार्थी शिक्षण संस्थान के अनुरूप ही वेशभूषा धारण करें।
- 3 विद्यार्थियों को द्वारा महाविद्यालय प्रांगण और कक्षाओं में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है, पकड़े जाने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
- 4 सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा और महाविद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखें अनावश्यक रूप से गंदगी ना फैलाएं।
- 5 सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं पकड़े जाने पर नुकसान की भरपाई तथा महाविद्यालय से नान तक काटा जा सकता है।
- 6 किसी भी विद्यार्थी को द्वारा अपने साथ बाहरी व्यक्तियों का महाविद्यालय प्रांगण में लाना जाना स्वीकार्य नहीं होगा जल्दबाजी करने पर अनुशासनवाचक कार्रवाई की जाएगी।
- 7 महाविद्यालय में विद्यार्थियों को द्वारा बीड़ी सिगरेट, तंबाकू तथा पान इत्यादि का उपयोग वर्जित है।
- 8 विद्यार्थी अपनी कक्षा को नियमित रूप से ट्यूम टेबल के अनुसार लगाएं परीक्षा प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत हाजिरी आवश्यक है।
- 9 विद्यार्थी किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में अतिरिक्त न हों।
- 10 सभी विद्यार्थी महाविद्यालय कानॉनिस बार्ड प्रतिदिन अवश्य पढ़ें।
- 11 सभी विद्यार्थी महाविद्यालय से संबंधित किसी भी अवसर का विद्यार्थी या क्लबिंग एक्टिविटी के लिए पर पीठिया Publish न करें।
- 12 सभी विद्यार्थी उपयोग ना होने पर कक्षाओं के लाइव फोन और पीन के पानी को नल को अवश्य बंद करें।
- 13 सभी लड़के महाविद्यालय में किसी भी लड़की के साथ अनभद्र भाषा का प्रयोग ना करें वृत्तव्यार करने समय समय आचरण और शांतिवता का पालन करें।